

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2024 — ज्येष्ठ 3, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2024/वाक/पांच (47).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपनियम 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त के परामर्श से जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2018/वाक/पांच (46) नया रायपुर दिनांक 19 जून, 2018 को एतद्वारा विखण्डित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमलप्रीत सिंह, सचिव.**

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक एफ 10-28/2024/वाक/पांच (47).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2024/वाक/पांच(47), दिनांक 24-05-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमलप्रीत सिंह, सचिव.**

Atal Nagar, the 24th May 2024

NOTIFICATION

No. F 10-28/2024/CT/V (47).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-rule (14) of Rule 138 of Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 and in consultation with the Chief Commissioner of Central Tax Notification No. F 10-31/2018/CT/V(46) Nava Raipur Dated 19th June, 2018 issued by this department, is hereby rescinded.

2. This Notification shall come into force from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
KAMALPREET SINGH, Secretary.